न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 116/2017/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
तारीख दायराः 20.09.2017
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

हबीबुल रहमान आयु 63 वर्ष पुत्र श्री अब्दुल रहमान खां जाति मुसलमान नि0 छबडा तहसील छबडा जिला बांरा
...अपीलांट

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति ब्राहम्ण नि. आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
2. मुरलीमनोहर पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण नि. आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
3. गिरजा शर्मा पत्नी प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
4. रामस्वरूप पुत्र श्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
5. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
6. मूली बाई विधवा श्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
7. सावित्री पुत्री श्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
8. सीमा बाई पुत्री श्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली तह0 छबडा जिला बांरा
9. ग्राम पंचायत कडैयावन द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कडैयावन तह0 छबडा जिला बांरा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो0क्रम 1 ता 5 व 8

:::निर्णय:::

दिनांक 07.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या--2/2016 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट बउनवान हबीबुलरहमान बनाम संजय कुमार वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम आंचोली तहसील छबडा की भूमि ख.नं. 127 रकबा 21 बीधा 18 बिस्वा का ग्राम पंचायत कडैयावन द्वारा दिनांक 18.12.1964 को इन्तकाल सं0 90 जानकीलाल, राधाकिशन पुत्र भेरूलाल के नाम भूमि दिनांक 13.06.1956 को विक्रय किये जाने के आधार पर तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा में पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा ने अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त भूमि का अनेको बार बेचान हो गया है एवं इस भूमि से सम्बन्धित दावा नं. 188/2012 धारा 188 आरटीएक्ट एवं दावा सं. 133/2012 धारा 88,89,91,188 आरटीएक्ट का निर्णय होकर डिक्री हो चुका है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही पत्रावली दिनांक 27.06.2017 को कैम्प कोर्ट गूगोर में रखकर अपीलान्ट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुए कानूनी प्रावधानों के विपरित अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट पर हाजिर होने के

लिये अपीलांट या अन्य पक्षकारान को सूचित नही गया। अपील मे अपीलांट के हाजिर नही होने की स्थिति मे भी एक तरफा कार्यवाही का कोई नियम नही है। न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.4.2017 से स्पष्ट है कि पत्रावली मे रेस्पो0 क्रम–7 की तलबी हेतु आगामी तारीख दिनांक 22.5.2017 नियत की गई थी। लोक अदालत केम्प मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिनमे दोनो पक्षकार सहमत हो। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेरअपील पारित करने मे सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है। इन्तकाल सं0 90 में यह भूमि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.06.1956 को विक्रय करना बताया गया है उस समय अपीलान्ट की आयु मात्र तीन वर्ष की थी वह नाबालिग था। उसने अपनी भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय नही की थी। अपीलान्ट की ओर से भूमि विक्रय करने हेतु किसी को कानूनन अधिकृत भी नही किया गया था। भूमि विक्रय करने बाबत सक्षम न्यायायल से कोई अनुमति भी प्राप्त नही की गई थी। अपीलान्ट के नाबालिग होने की स्थिति में यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी भूमि को विक्रय भी किया है तो वह कानूनन मान्य नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 27.6.2017 निरस्त किया जाकर पक्षकार को तलब कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील रेस्पो0 क्रम–7 की तलबी मे चल रही थी पत्रावली मे आगामी तारीख पेश 22.5.2017 नियत की गई थी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सूचित किये बिना ही प्रकरण लोक अदालत केम्प गूगोर मे रख जेरअपील निर्णय पारित किया गया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता मे निहित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट हो जाते है। बहस मे आगे यह भी बताया कि लोक अदालत केम्प मे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। पक्षकारान की सहमति संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 27.6.2017 निरस्त किया जाकर पक्षकार को तलब कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी ने बहस मे बताया कि प्रकरण मे प्रक्रियात्मक त्रुटि है जिसके आधार पर अपील को लम्बित नही रखा जा सकता। न्यायालय को यह देखा जाना चाहिये कि क्या अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य है अथवा नही। अपील चलाने से क्या लाभ है वर्ष 1964 के नामान्तरकरण की अपील अपीलांट द्वारा वर्ष 2016 मे लगभग 50 वर्ष बाद पेश की है जिसका कोई विधिक औचित्य नही है। क्योंकि उक्त नामा0 के बाद विवादित आराजी के कई नामान्तरकरण खुल चुके है तथा दावे मे फैसले हो चुके है। अपीलांट ने अपील मे उक्त तथ्यों को स्पष्ट नही किया है। ऐसी स्थिति मे यदि प्रकरण को रिमांड किये जाने का कोई औचित्य नही रह जाता केवल मात्र पुनः अनावश्यक कार्यवाही होगी। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। जेरअपील आदेश दिनांक 27.6.2017 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजात का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं0 90 ग्राम आंचोली दिनांक 18.12.1964 ग्राम पंचायत कडैयावन द्वारा विवादित आराजी अपीलार्थी हबीबुलरहमान द्वारा जानकीलाल, राधाकिशन आ0 भेरूलाल को विक्रय किये जाने के आधार पर जानकीलाल, राधाकिशन आ0 भेरूलाल के पक्ष मे तस्दीक किया गया है। उक्त नामा0 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 1.6.2016 को अपील पेश कर इस आधार पर चुनोती दी गई कि ''अपीलांट द्वारा भूमि को दिनांक 13.6.1956 को विक्रय करना बताया गया है उस समय अपीलांट की आयु मात्र तीन वर्ष की थी, वह नाबालिग था उसने भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय नही की

राज० स० आयु०
कोटा

थी तथा किसी व्यक्ति को भूमि विक्रय करने हेतु कानूनन अधिकृत भी नही किया था। सक्षम न्यायालय से कोई अनुमति भी प्राप्त नही की गई थी। अपीलांट के नाबालिग होने की स्थिति मे यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी भूमि को विक्रय भी किया है तो वह कानूनन मान्य नही है तथा ऐसे किसी प्रभावहीन दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया इंतकाल मानूनन निरस्त किये जाने योग्य है''। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील को निर्णय दिनांक 27.6.17 से इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस भूमि से संबधित इस इन्तकाल के उपरांत अनेको बार बेचान हो गया है एवं आज ही इस भूमि से संबधित दावा नं0 188/12 धारा 188 आरटीए एवं दावा 133/12 धारा 88, 89, 91, 188 आरटीए मे निर्णय/डिक्री पारित की जा चुकी है। प्रश्नगत द्वितीय अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील रेस्पो0 कम–7 की तलबी मे चल रही थी पत्रावली मे आगामी तारीख पेश 22.5.2017 नियत की गई थी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सूचित किये बिना ही प्रकरण लोक अदालत केम्प गूगोर मे रख जेरअपील निर्णय पारित कर दिया गया जो सिविल प्रकिया संहिता मे निहित प्रावधानों के विपरीत है। लोक अदालत केम्प मे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जबकि पक्षकारान की सहमति संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं दस्तावेजात तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 27.6.2017 को अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 17.4.2017 को पत्रावली मे रेस्पो0 कम–7 की तलबी मे ता0 पेशी 22.5.2017 नियत की गई थी। आदेशिका दिनांक 2.5.17 के अनुसार वकील फरीकेन उप0 अंकित करते हुये पत्रावली मे केम्प कोर्ट मुकाम गूगोर हेतु तारीख 27.6.2017 नियत की जाकर दिनांक 27.6.17 को जेरअपील निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति व रेस्पो0 नं0 1 संजय कुमार एवं रेस्पो0 कम–3 गिरजा शर्मा के पति प्रहलाद की उपस्थिति मे पारित किया गया है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पक्षकारान को केम्प कोर्ट गूगोर के नोटिस जारी किया जाना प्रकट नही होता है किन्तु दिनांक 2.5.2017 की आदेशिका अनुसार वकील फरीकेन की उपस्थिति मे प्रकरण मे केम्प कोर्ट मुकाम गूगोर की दिनांक 27.6.2017 नियत की जाना स्पष्ट होता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने भी प्रकरण मे केम्प कोर्ट गूगोर के पक्षकारान को नोटिस जारी नही किया जाना प्रक्रियात्मक त्रुटि होना जाहिर करते हुये अपीलांट द्वारा वर्ष 1964 के नामान्तरकरण की अपील वर्ष 2016 मे लगभग 50 वर्ष बाद पेश किये जाने से कोई विधिक औचित्य नही होने का कथन करते हुये उक्त नामा0 के बाद विवादित आराजी के कई नामान्तरकरण खुल जाना तथा दावे मे फैसले होना जाहिर करते हुये प्रकट किया कि अपीलांट ने अपील मे उक्त तथ्यों को स्पष्ट नही किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का अभिकथन न्यायोचित होना प्रकट होता है क्योंकि जेरअपील निर्णय दिनांक 27.6.17 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाते है कि नामा0 सं0 90 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील लगभग 50 वर्ष बाद पेश की गई। इस इन्तकाल के उपरांत उक्त भूमि के अनेको बार बेचान होना तथा दावा नं0 188/12 धारा 188 आरटीए एवं दावा नं0 133/12 धारा 88, 89, 91, 188 आरटीए मे निर्णय/डिक्री पारित होना स्पष्ट है। उक्त तथ्यों को अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण मे स्पष्ट नही किया गया है। उक्त नामा0 के उपरांत भूमि का अनेको बार बेचान होने व दावा डिक्री हो जाने से नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही मे अपीलांट विधिक तौर पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रकट नही होता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 7.11..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा